संख्या-एम-47/9-8-14-124ज/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2014

विषय:- प्रदेश की नागर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश उन राज्यों में सम्मिलित है, जिनमें विद्युत की खपत अधिक है। इसके साथ ही प्रदेश में पारम्परिक विद्युत के उत्पादन के सापेक्ष खपत अधिक है जिसके कारण विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भविष्य की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा की पूर्ति हेतु बिजली के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना समय की आवश्यकता है। राज्य में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, जिसका उपयोग नागर निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, कार्यालय के संचालन आदि में किया जा सकता है।

2. प्रदेश के नागर निकायों द्वारा अपने कार्यालयों, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आदि के लिए पारम्परिक विद्युत व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है, जिससे विद्युत मद में काफी धनराशि व्यय हो रही है। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किये जाने से विद्युत बिलों में तो कमी लाई ही जा सकती है साथ ही साथ सौर ऊर्जा के उपयोग को इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy, Govt of India) द्वारा सोलर संयंत्रों के अधिष्ठापन हेतु बेंच मार्क दरें निर्धारित की गयी हैं, जो भारत सरकार की बेवसाईट (**http://www.mnre.gov.in/**) पर उपलब्ध हैं। नगर विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न नागर निकायों द्वारा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाईट/सोलर हाई मास्ट लाईट के लिए उपलब्ध कराये जा रहे आगणनों के भारत सरकार के द्वारा निर्धारित बेंच मार्क दरों से परीक्षण किये जाने पर यह तथ्य परिलक्षित हुए हैं कि निकायों द्वारा प्रेषित किये गये आगणन की

GO-ANy

दरें भारत सरकार के द्वारा निर्धारित बेंच मार्क दरों से काफी अधिक हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कम्पनियों की दरों में भी भिन्नता है तथा गारण्टी/वारण्टी अवधि में भी भिन्नता है।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों के कार्यालयों, मार्ग प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल आपूर्ति के लिए सोलर लाईट/सोलर हाईमास्ट लाईट एवं सोलर संयंत्रों का अधिष्ठापन भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy, Govt of India) के द्वारा निर्धारित बेंच मार्क दरों पर कार्य करने वाली संस्थाओं तथा सोलर इनर्जी डेवलेपमेंट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ, जिसे भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कराये जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, से कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है, ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित बेंच मार्क दरों व मानक के अनुसार प्रदेश की नगरीय निकायों में सौर ऊर्जा से सम्बन्धित कार्यो का अधिष्ठापन हो सके एवं निकायों में इस मद में व्यय होने वाली धनराशि में कमी लायी जा सके।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

25/11/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

संख्या-एम.47(1) /9-8-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4. निदेशक, सी. एण्ड डी.एस., उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल।
6. कम्प्यूटर सेल, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु)
7. प्रबन्ध निदेशक, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, डी-1181 इन्दिरानगर, लखनऊ-226016
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।